न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
35/2013	17/06/2013	10/10/2025

बाबूलाल पुत्र तेज्या जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज.

प्रार्थी

बनाम

1. पांच्या पुत्र बक्सा जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज.
2. मांगीलाल पुत्र माधो जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज.
3. उदा पुत्र बक्सा जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज
4. रामनारायण पुत्र तेज्या जाति बेरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज
5. राधेश्याम पुत्र तेज्या जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज.
6. कमला बाई पुत्री तेज्या जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज
7. कस्तूरी बाई पुत्री तेज्या जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज
8. सुखदेव पुत्र मोत्या जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज.
9. पप्पू पुत्र नेनकीलाल जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज,
10. धन्नी बेवा नेनकीलाल जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री श्याम बैरवा एड0।

अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री हरिमोहन मीणा एड0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके माल ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा भू—अभिलेख उप निरीक्षक इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज की जमाबन्दी संवत् 2066—69 की जमाबंदीनुसार खाता सं नया 421 पुराना 372 की ख.न. 1913 की रकबा 2.04 है० व ख0नं0. 1914 की रकबा 1.63 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.67 है० कृषि भूमि स्थित है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 के संयुक्त खाते की भूमि है। वाके माल ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की जमाबंदी संवत् 2066—69 की खाता सं. नया 427 पुराना 377 ख.न. 1574 रकबा 0.74 है०, ख.न. 1916 रकबा 0.80 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 है0 की कृषि आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 7 के संयुक्त खाते की भूमि है। वाद में वर्णित कृषि आराजी ख.न. 1913 रकबा 2.04 है०, ख.न. 1914 रकबा 1.63 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.67 है0 में 1/8 में से 1/5 हिस्सा निहित है अर्थात कुल जोत का 1/40 हिस्सा प्रार्थी का निहित है तथा अप्रार्थी क्रम 1,2 व 3 का 1/8 हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थी क्रम 4 से लगायत 7 का 1/40, 1/40, 1/40, 1/40, 1/40 हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थी क्रम 8 का 2/5 हिस्सा दर्ज है तथा अप्रार्थी क्रम 9 व 10 का 1/10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। और इस प्रकार वाद पत्र में वर्णित आराजी ख.न. 1574 रकबा 0.74 ख.न. 1916 रकबा 0.80 है० कुल किता 2 रकबा 1.54 है0 कृषि आराजी में प्रार्थी का 1/20 हिस्सा दर्ज है तथा अप्रार्थी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी क्रम 2 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी क्रम 3 का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी क्रम 4 से लगायत 7 का 1/20, 1/20, 1/20, 1/20, 1/20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपस में मनमुटाव हमेशा बना रहता है तथा कई प्रकार से आपस में झगड़ा होता रहता है। तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर किसी प्रकार का भू—सुधार कार्य करवाने में असमर्थ है तथा राज्य सरकार का लगान कर्ता सिंचाई भी पूर्ण रूप से जमा करवाने में असमर्थता बनी रहती है। और आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते है। इस कारण प्रार्थी अपने हिस्से को उपरोक्त कृषि

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– **हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०**

मिसल संख्या	**तारीख दायरा**	**तारीख फैसला**
35/2013	**17/06/2013**	**10/10/2025**

बाबूलाल पुत्र तेज्या जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज,

प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र माधो जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज.
2. उदा पुत्र बक्सा जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज
3. रामनारायण पुत्र तेज्या जाति बेरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज
4. राधेश्याम पुत्र तेज्या जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज.
5. कमला बाई पुत्री तेज्या जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज
6. कस्तूरी बाई पुत्री तेज्या जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज
7. सुखदेव पुत्र मोत्या जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज.
8. पप्पू पुत्र नेनकीलाल जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज,
9. धन्नी बेवा नेनकीलाल जाति बैरवा निवासी इटावा जिला कोटा राज
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज,

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– श्री श्याम बैरवा एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– श्री हरिमोहन मीणा एड0।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके माल ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा भू–अभिलेख उप निरीक्षक इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज की जमाबन्दी संवत् 2066–69 की जमाबंदीनुसार खाता सं नया 421 पुराना 372 की ख.न. 1913 की रकबा 2.04 है० व ख0नं0, 1914 की रकबा 1.63 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.67 है० कृषि भूमि स्थित है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 के संयुक्त खाते की भूमि है। वाके माल ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की जमाबंदी संवत् 2066–69 की खाता सं. नया 427 पुराना 377 ख.न. 1574 रकबा 0.74 है०, ख.न. 1916 रकबा 0.80 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 है0 की कृषि आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 7 के संयुक्त खाते की भूमि है। वाद में वर्णित कृषि आराजी ख.न. 1913 रकबा 2.04 है०, ख.न. 1914 रकबा 1.63 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.67 है0 में 1/8 में सें 1/5 हिस्सा निहित है अर्थात कुल जोत का 1/40 हिस्सा प्रार्थी का निहित है तथा अप्रार्थी क्रम 1,2 व 3 का 1/8 हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थी क्रम 4 से लगायत 7 का 1/40, 1/40, 1/40, 1/40, 1/40 हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थी क्रम 8 का 2/5 हिस्सा दर्ज है तथा अप्रार्थी क्रम 9 व 10 का 1/10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। और इस प्रकार वाद पत्र में वर्णित आराजी ख.न. 1574 रकबा 0.74 ख.न. 1916 रकबा 0.80 है० कुल किता 2 रकबा 1.54 है0 कृषि आराजी में प्रार्थी का 1/20 हिस्सा दर्ज है तथा अप्रार्थी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी क्रम 2 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी क्रम 3 का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी क्रम 4 से लगायत 7 का 1/20, 1/20 1/20, 1/20, 1/20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपस में मनमुटाव हमेशा बना रहता है तथा कई प्रकार से आपस में झगड़ा होता रहता है। तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर किसी प्रकार का भू-सुधार कार्य करवाने में असमर्थ है तथा राज्य सरकार का लगान कर्ता पिलाई भी पूर्ण रूप सें जमा करवाने में असमर्थता बनी रहती है। और आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते है। इस कारण प्रार्थी अपने हिस्से को उपरोक्त कृषि

आराजी में से पृथक सें राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। जिससे परिवार में किसी प्रकार का द्वेष व मनमुटाव पैदा नही हो तथा आपसी भाईचारा व प्रेम हमेशा बना रहे है। मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजी से प्रार्थी को बेदखल कर दिया व संयुक्त आराजी में निर्माण कार्य, खुर्द बुर्द रहन बैचान कर दिया तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन किया जाना असम्भव होगा। प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद निम्न आशय का आदेश फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे तथा खुर्द बुर्द, रहन बैचान नही करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्याम बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री हरिमोहन मीणा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जवाब में काफी अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता बहस सुनी गई। बहस में कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा भू-अभिलेख उप निरीक्षक इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज की जमाबन्दी संवत् 2066-69 की जमाबंदीनुसार खाता सं नया 421 पुराना 372 की ख.न. 1913 की रकबा 2.04 है० व ख0नं0, 1914 की रकबा 1.63 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.67 है० तथा वाके माल ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की जमाबंदी संवत् 2066-69 की खाता सं. नया 427 पुराना 377 ख.न. 1574 रकबा 0.74 है०, ख.न. 1916 रकबा 0.80 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 है0 प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि है तथा बंटवारे का दावा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। दौराने दावा विवादित आराजी के रहन, वसीयत, दान इत्यादि के माध्यम से खुर्द-बुर्द होने की आशंका है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी अतः ग्राम इटावा खाता सं नया 421 पुराना 372 की ख.न. 1913 की रकबा 2.04 है० व ख0नं0, 1914 की रकबा 1.63 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.67 है० तथा वाके माल ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की जमाबंदी संवत् 2066-69 की खाता सं. नया 427 पुराना 377 ख.न. 1574 रकबा 0.74 है०, ख.न. 1916 रकबा 0.80 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 है0 पर मौके तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति के आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों से प्रार्थी व अप्रार्थी सह खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में है। वाद के विचारण के दौरान विवादित भूमि के खुर्द-बुर्द होने से अपूरणीय क्षति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुविधा संतुलन भी आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रा0 पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी तथा अप्रार्थी को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मूल दावे के निस्तारण तक विवादित भूमि ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा ख0नं0 1913 की रकबा 2.04 है० व ख0नं0, 1914 की रकबा 1.63 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.67 है० तथा वाके माल ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की जमाबंदी संवत् 2066-69 की खाता सं. नया 427 पुराना 377 ख.न. 1574 रकबा 0.74 है०, ख.न. 1916 रकबा 0.80 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 है0 पर रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। किसी भी प्रकार से विवादित काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवाये। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा इटावा कोटा